

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक/बी-6/नियमन/विविध/ 369

भोपाल, दिनांक 23/12/2021

प्रति,

पुलिस अधीक्षक (समस्त)
जिला(म.प्र.)

विषय:- मण्डी बोर्ड एवं मण्डी समितियों के निरीक्षण दल को प्रशासकीय सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने के सबध में।

म. प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कृषि उपज का मण्डी प्रागंण में अनुबध और मण्डी क्षेत्र में सौदा पत्रक के माध्यम से विक्रय संव्यवहार संपादित होता है, जिसपर उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर पर मण्डी फीस एवं निराश्रित शुल्क लगता है। कृषि उपज का विक्रय संव्यवहार मण्डी समितियों के नियंत्रण के अधीन संचालित है तथा उक्त अधिनियम की धारा 23 में मण्डी बोर्ड और मण्डी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कृषि उपज का व्यापार करने वाले प्रतिष्ठानों, भंडारगृह, वाहनों इत्यादि की जाँच करने के साथ ही उपज को अभिग्रहित करने की शक्ति प्राप्त है।

उपरोक्तानुसार मण्डी अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन, मण्डी क्षेत्र में नियमन व्यवस्था लागू करने, कृषि उपज की अवैध खरीदी और परिवाहन पर अंकुश लगाने के लिये मण्डी बोर्ड के संभागीय कार्यालय और मण्डी समितियों को निरीक्षण दल/उड़नदस्ता गठित कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मण्डी के उड़नदस्ते शासकीय उपार्जन के दौरान प्रदेश के बाहर से अनाधिकृत कृषि उपज की आवक पर रोक लगाने में भी सहायक है। उक्त प्रयोजन के लिये मण्डीयों के उड़नदस्तों के द्वारा कई अवसरों पर सुनसान इलाकों के अलावा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर रात्रिकालीन निरीक्षण ऊटी पर तैनात रहते हैं, जिस दौरान कई अवसरों पर कृषि उपज के अवैध व्यापार एवं परिवहन में संलग्न असमाजिक तत्वों से स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

अतः आपके जिले के अनुविभागीय अधिकारियों (पुलिस) एवं थाना प्रभारियों को मण्डी बोर्ड एवं मण्डी समितियों के निरीक्षण दलों को आपातकालीन परिस्थितियों में यथोचित प्रशासकीय सहयोग और सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक/बी-6/नियमन/विविध/ ३७०

भोपाल , दिनांक २३/ १२ / २०२१

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/ उप संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचंलिक कार्यालय भोपाल/ इन्दौर /उज्जैन/ग्वालियर/ सागर/जबलपुर/रीवा।
2. भारसाधक अधिकारी (समस्त) कृषि उपज मण्डी समिति.. को निर्देशित किया जाता है कि जिला प्रशासन से समन्वय कर मण्डी बोर्ड और मण्डी समिति के निरीक्षण दल को प्रशासकीय सहयोग और सुरक्षा की वृष्टि से आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करे।
3. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति....(समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के साथ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) से व्यक्तिगत संपर्क कर आवश्यक सहयोग प्राप्त करे।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल